न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री कैलास चन्द्र लखारा , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/10/2017

उनवान

1. निसार मोहम्मद पिता नूर खॉ मुसलमान निवासी सहाडा तहसील सहाडा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाडा

..प्रार्थी

बनाम

1. सिराज मोहम्म पिता नूर खॉ मुसलमान निवासी सहाडा तहसील सहाडा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाडा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 जाब्ता दीवानी

अधिवक्तागण :–

1. श्री महेश दाधीच, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री बी एल बापना, विपक्षी

निर्णय

दिनांक 24.12.2019

1. प्रकरण के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की जिसके प्रकरण संख्या 83/2016 है । उक्त अपील में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 28.6.2017 को स्थगन आदेश जारी करते हुए मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखेजाने का आदेश जारी किया गया था। प्रकरण में विपक्षीगण को दिनांक 29.8.2017 को तामील हो चुकी थी। उसके बावजूद प्रश्नगत आराजी संख्या3491/2 रकबा 0.12 है0 भूमि के रोड से लगे हुए भाग पर निर्माण करना आरंभ किया है। अतः विपक्षीगण द्वारा मौके की स्थिति में परिवर्तन करने व न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने के लिए

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

सख्त रूख अपनाया जाकर दण्डित किये जाने का निवेदन किया ।

2. न्यायालय हाजा में प्रार्थना पंजिबद्ध किया गया एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रार्थी ने न्यायालय हाजा में एक अपील प्रस्तुत की जो न्यायालय हाजा में विचाराधीन है जिसके प्रकरण संख्या 83/2016 है। उक्त अपील में न्यायालय हाजा द्वारादिनांक 28.6.2017 को सुनवाई के बाद स्थगन आदेश जारीकिया तथा मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश जारी किया गया। उक्त प्रकरण में दिनांक 29.8.2017 को विपक्षी की तामील हो चुकी है, विपक्षीगण को उक्त स्थगन आदेश की जानकारी होते हुए विपक्षीगण ने उक्त आराजी के रोड से लगे हुए भाग पर अनाधिकृत अवैध रूप से निर्मा कार्य करना आरंभ कर दिया व व्यावसायिक उपयोग के लिए दुकानें बनाने लग गये। जबकि उक्त भूमि अविभक्त कृषि भूमि है।

4. प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि विपक्षी सिराज मोहम्मद ने न्यायालय हाजा के आदेश की अवज्ञा कर मौके पर प्रश्नगत आराजी संख्या 3491/2 रकबा 0.12 है0 भूमि के रोड से लगे हुए बेशकीमती भाग पर निर्माण करना आरंभ कर दिया । प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर पटवारी हल्का ने निर्माण कार्य रूकवाया व मौका पर्चा कायम किया। उक्त प्रकरण में सिराज मोहम्मद ने न्यायालय आदेश की अवज्ञा की तथा सक्षम अधिकारी व पटवारी हल्का से मिलीभगत कर न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश के बावजूद दिनांक 4.8.2017 को प्रार्थी के हिस्से की प्रतिकर राशि का भूमि अवाप्ति अधिकारी से विड्रो करने का कतई अधिकार प्राप्त नहीं है। तथा स्थगन आदेश की सक्षम

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अधिकारी व पटवारी हल्का को भी जानकारी होते हुए मिलीभगती कर न्यायालय हाजा के आदेश की अवहेलना की है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण द्वारा मौके पर स्थिति में परिवर्तन करने व न्यायालय हाजा के आदेश की अवहेलना करने के लिए सख्त रूख अपनाया जाकर सिविल जेल भेजे जावें।

5. विपक्षीगण के योग्य अधिवक्ताका निवेदन है कि उक्त अनवान का कोई वान न्यायालय हाजा में विचाराधीन नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील टी ए संख्या 225 / 2017 की कार्यवाही में प्रत्यर्थी ने दिनांक 29.8.2017 को जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी । लेकिन प्रत्यर्थी विपक्षी को स्थगन आदेश की कोई जानकारी नहीं थी। क्योंकि प्रत्यर्थी पर किसी अन्तरिम स्थगन आदेश की तामील हेतु हुक्म इम्तनाई चंदरोजा की तामील नहीं हुई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री दिनांक 28.6.2017 के बाद अपील संख्या 225 / 2017 पेश होने के पूर्व ही प्रत्यर्थी विपक्षी ने मेरे स्वयं के हिस्से की भूमि पर निर्माण कार्य करालिया था। प्रार्थी को जो जमीन मेरे द्वारा बेची गई थी व पूर्वी तरफ की रोड के पास वाली है जिसक पडौसउसके विक्रय पत्र में लिखे गये है। प्रार्थी ने अपना प्रकरण पर्याप्त साक्ष्य से साबित नहीं कराया है। पटवारी हल्का से मिल कर कोई मौका पर्चा बना लिया हो तो विपक्षी कोजानकारी नहीं है। मौका पर्चा बनाते समय विपक्षी को सूचित नहीं किया गया था। विपक्षी ने माननीय न्यायालय हाजा के आदेश की अवज्ञा नहीं की है। भूमि का मुआवजा भूमि अवाप्ति अधिकारी से प्राप्त करने का प्रश्न है उसके संबंध में स्वयं प्रार्थी ने विपक्षी के पक्ष में एक इकरारनामा दिनांक 7. 8.2015 को निष्पादित कर कथन किया कि अवाप्तसुदा भूमि विपक्षी सिराज मोहम्मद कीहै। उसका मुआवजा सिराज मोहम्मद को प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

6. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली परउपलब्ध दस्तोवजात का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । न्यायालय हाजा द्वारा दिनिांक 27.7.2016 को प्रार्थी / अपीलार्थी के पक्ष में एवं विपक्षी सिराज मोहम्मद के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के प्रकरण संख्या 83 / 2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 28.6.2017 में ग्राम सहाडा तहसील सहाडा की वादग्रस्त आराजियात की उभयपक्ष द्वारा मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति आगामी पेशी दिनांक 29.8.2017 तक रखे जाने बाबत स्थगन आदेश जारी किया गया है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत न्यायालय हाजा के आदेशिका की फोटो प्रति प्रस्तुत की है। जिसके अनुसार दिनांक 25.10.2017 को अपीलार्थी ने नोट प्रेस किया है। जिससे पत्रावली को नोट प्रेस में खारिज किया गया है। चूंकि जब न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण का निस्तारण दिनांक 25.10.2017 को किया जा चुका था एवं कोई अपील न्यायालय हाजा में लंबित ही नहीं रही। उसके बाद 8.11.2017 को उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम (2) ए व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय हाजा में वादग्रस्त आराजी बाबत कोई अपील ही लंबित नहीं है एवं न ही स्थगन प्रार्थना पत्र ही लंबित है। तो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

7. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम (2) ए व्यवहार प्रकिया संहिता सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 24.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा